

II/नग०/सिंगरौली/भू-रा०/2018/०२४७५

338

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)



कामकाज आफ कोई
मण्डल मण्डल म०प्र० निवास
(सर्किट और) द्वारा रामनिहोर तनय मोतीलाल कलार, निवासी ग्राम पापल, रा०नि०मं०

निवास, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म०प्र०)

निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- पन्नालाल तनय हरिलाल साहू
- 2- छोटे तनय हरिलाल साहू
- 3- दिलीप कुमार साहू तनय हरिलाल साहू
तीनो निवासी ग्राम पापल, रा०नि०मं० निवास, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म०प्र०)
- 4- म०प्र० शासन

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल सरई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म०प्र०)
के राजस्व प्रकरण क्र०-६/अ-१२/२०१२-२०१३ आदेश दिनांक २९/१२/२०१२ एवं
नक्शा तरमीम का प्रकरण क्र०-६/अ-१२/
२०१२-१३
निगरानी अंतर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व
संहिता १९५९ ई०

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है :-

- 1- यह कि निगरानीकर्ता के पिता स्व० हरिलाल साहू के द्वारा आराजी नं०-५५२ रकवा ०.०५ है०, ५५५ रकवा ०.१४ है०, ५५६ रकवा ०.१० है०, ५५८ रकवा ०.०५ है०, ५५९ रकवा ०.०५ है०, ५६० रकवा ०.०५ है०, ५६१ रकवा ०.७० है०, ५६२ रकवा ०.१९ है० कुल किता ०८ योग रकवा ०.८० है० में से १/२ में से २/३ विक्री रकवा ०.२६ है० यानी ०.६५ ए० विक्रेता मु० उदसिया पति सुखलाल कलार एवं दददी पिता सुखलाल कलार से क्रय किया था उपरोक्त आराजियों के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मानक III / निग0 / भू—रा0 / 2018 / 2475

जिला—सिंगरौली

रामनिहोर कलार/पन्नालाल साहू

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल सरई, तहसील सरई प्रकरण क्रमांक 6/अ-12/2012-13 एवं नक्शा तरमीम में पारित आदेश दिनांक 29.12.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;">(बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	